न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 114 / 2024

प्रार्थी

1. श्री कान्तिलाल पुत्र श्री पाताजी जाति प्रजापत निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत भारजा पंचायत समिति पिण्डवाडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. स्व. श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी प्रजापत निवासी भारजा के कायम मुकाम व वारिसान–

2.1. श्री प्रेमाराम पुत्र स्व. श्री राजाराम प्रजापत निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2. श्री समरथलाल पुत्र स्व. श्री राजाराम प्रजापत निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.3. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री स्व. श्री राजाराम पत्नि श्री कालूरामजी प्रजापत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.4. श्रीमती हीरादेवी पुत्री स्व. श्री राजाराम पत्नि श्री मगनलालजी प्रजापत निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

3. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री कस्तूररामजी मीणा निवासी मीणावास, भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि श्री छगनलालजी मीणा निवासी मीणा वास, भुजेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के पूर्वरसाधिकारी श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी प्रजापत निवासी भारजा के हक में प्लॉट संख्या 15 का जारी किया गया पट्टा संख्या 16 दिनांक 18.03.1982 वर्गफीट 1500 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या संख्या दो से चार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टा संख्या 16 दिनांक 18.03.1982 को प्लॉट संख्या 15 का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 271 के अन्तर्गत कुल 1500 वर्गफीट का अप्रार्थी संख्या दो स्वर्गीय राजाराम पुत्र पाताजी प्रजापत के हक में जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी गाँव भारजा का मूल निवासी है तथा अपने व्यवसाय के प्रयोजनार्थ अहमदाबाद में निवास कर रहा है। स्वर्गीय राजाराम पुत्र पाताजी प्रजापत प्रार्थी का सगा भाई था। सन् 1982 में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा नये सर भुजेला में आबादी भूमि में प्लॉटिंग कर उसकी नीलामी बोली रखी गयी तथा राजाराम ने प्रार्थी को इस संबंध में जानकारी दी तो प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से सम्पर्क किया तो उन्होने अवगत कराया कि आपके वती बोली कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। उच्च बोली जिसकी भी होगी हम उसके नाम नियमानुसार पट्टा जारी कर देंगे। उक्त आश्वासन के पश्चात् प्रार्थी ने अपने भाई राजाराम को प्रार्थी की ओर से बोली बोलने हेतु अधिकृत किया, जिस पर प्लॉट संख्या 15 की उच्चतम बोली 2,141/– बोली गयी, जिसकी सूचना राजाराम द्वारा प्रार्थी को दी गयी, तब प्रार्थी ने रूपये 1700/– का चैक संख्या 155798 दिनांक 06.12.1982 अब्दुल रहमन स्ट्रीट मुम्बई–3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया का भिजवाया, जो अप्रार्थी संख्या एक ने अपने बैंक मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा भारजा में जमा करवाया, जो दिनांक 06.12.1982 को अप्रार्थी संख्या एक के खाते में जमा हुआ तथा शेष राशि प्रार्थी की ओर से 428/– रूपए नकद भेजी थी, जो दिनांक 09.09.1980 को ही अप्रार्थी संख्या एक के खाते में जमा हो गयी थी तथा शेष राशि 18 रूपये दिनांक 02.01.1984 को जमा करवाये थे। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से सम्पूर्ण राशि जमा करवाई थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक व स्वर्गीय राजाराम ने आपस में मेलमिलाप कर गलत रूप से उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या दो राजाराम के हक में जारी करवा दिया। यह कि मौके पर कब्जा स्वर्गीय राजाराम ने प्रार्थी को सुपूर्द किया था तथा प्रार्थी द्वारा राजाराम से पट्टे की मांगनी करने पर वह येनकेन प्रकारेण बहानेबाजी करता रहा तथा आयंदा पट्टा देने का आश्वासन देता रहा। प्रार्थी अपने भाई के विश्वास पर रहा तथा उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा कहने पर राजाराम ने उक्त भूमि पर किस्तुरराम मीणा व छगनलाल मीणा को व्यवसाय करने हेतु केबिन लगाने हेतु किराये पर दिया था, जिसका किराया भी राजाराम प्राप्त कर प्रार्थी को देता रहा, जिस पर प्रार्थी इसी विश्वास में था कि उसके नाम नियमानुसार पट्टा राजाराम ने प्राप्त कर लिया होगा। आज से लगभग 8–10 वर्ष पूर्व राजाराम का देहावसान हो चुका है, जिसके कायम मुकाम व वारिसान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 है, जो भी प्रार्थी को यही आश्वासन देते रहे कि हमें आपका पट्टा नहीं मिल रहा है। प्राप्त होते ही हम आपको पट्टा सुपूर्द कर देंगे। यह कि राजाराम ने प्रार्थी से नीलामी बोली की सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा जारी चैक भी अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में जमा करवाया एवं अप्रार्थी संख्या एक से सांठगाँठ व मेलमिलाप कर राजाराम ने गलत रूप से अपने नाम पट्टा जारी करवा दिया, जो कानूनन शून्य व बातिल दस्तावेज है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात् वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में पट्टेशुदा भूमि का 600 वर्गफुट भाग सडक सीमा में आने से उसको अवाप्त किया गया था तथा शेष 30 गुणा 30 कुल नाप 900 वर्गफुट भाग पडत रही थी। यह कि उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान व कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 2/1 ने 2/4 ने यह जानबुझते की उक्त सम्पत्ति प्रार्थी की खरीद शुदा सम्पत्ति है, जिसका गलत रूप से स्वर्गीय राजाराम ने कूटरचित तरीके से पट्टा बनवाया है, जबकि उक्त सम्पत्ति पर कब्जा प्रार्थी का ही चला आ रहा है। इसके उपरांत भी उक्त सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने के दुराशय से अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 ने एक कूटरचित विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या तीन के पक्ष में 450 वर्गफुट का निष्पादित करवाया एवं उसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय भावरी में दिनांक 14.08.2024 को निष्पादित करवाया तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 ने एक कूटरचित विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या चार के पक्ष में 450 वर्गफुट का निष्पादित करवाया एवं उसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय भावरी में दिनांक 14.08.2024 को निष्पादित करवाया। प्रार्थी सितम्बर 2024 को गाँव भारजा आया एवं इस संबंध में अप्रार्थी संख्या

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

2/1 व 2/2 से सम्पर्क किया एवं पट्टा की मांग की तो उन्होने जाहिर किया कि उक्त सम्पत्ति का पट्टा हमारे पिता राजाराम प्रजापत के नाम का था तथा उक्त जमीन को हमने अप्रार्थी संख्या तीन व चार को बेचान कर उसका विक्रय विलेख निष्पादित करवा दिया। तब सर्वप्रथम प्रार्थी ने इस संबंध में उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में दिनांक 26.09.2024 को जाकर जानकारी प्राप्त की एवं अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन व चार के हक में करवाये गए विक्रय विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की एवं ग्राम पंचायत भारजा में दिनांक 24.09.2024 को उपस्थित होकर पट्टे की नकल प्राप्त की, जिनका अवलोकन करने पर उक्त पट्टा राजाराम के हक में जारी होने की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता श्री गुलाब नारायण वैष्णव के मार्फत अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 25.10.2024 को प्रेषित करवाया एवं गलत रूप से जारी पट्टे को व उसकी आड में किये गये विक्रय विलेखों को निरस्त करवाने का प्रेषित करवाया लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। यह कि उक्त पट्टा उच्चतम बोली के आधार पर जारी किया गया था, जिसकी राशि प्रार्थी की ओर से जरिये चैक द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को अदा की गयी थी। इस प्रकार पट्टा नियमानुसार प्रार्थी के हक में जारी किया जाना था, लेकिन अप्रार्थी संख्या एक व राजाराम पुत्र पाताजी ने आपस में मेलमिलाप कर कूटरचित तरीके से पट्टा राजाराम के नाम से जारी किया एवं राजाराम की मृत्यु पश्चात् उसके वारिसान व कायम मुकाम उक्त पट्टे की आड में उक्त सम्पत्ति का अप्रार्थी सख्या तीन व चार को बेचान कर उसे खुर्दबुर्द किया है। उक्त पट्टा कुटरचित तरीके से जारी किया गया, जो शुरू से ही शून्य व बातिल दस्तावेज है और ऐसे दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी सख्या तीन व चार के हक में किये गये विक्रय विलेख भी शून्य व बातिल दस्तावेज से अप्रार्थी सख्या तीन व चार को भी कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कानूनन कोई अवधि निर्धारित नही है। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 ने उक्त कूटरचित पट्टे में उनके पिता राजाराम का नाम दर्ज होने से उसका गलत रूप से फायदा उठाते हुए राजाराम की मृत्यु के 8–10 वर्ष पश्चात् उक्त सम्पत्ति का गलत रूप से अप्रार्थी संख्या तीन व चार को बेचान कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 24.09.2024 व 26.09.2024 को सर्वप्रथम हुई, जिस पर बिना किसी देरी के उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरवाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के पूर्व रसाधिकारी राजाराम पुत्र पाताजी प्रजापत के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 18.03.1982 को खारिज करवाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो से चार के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 271 के तहत नीलामी में पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 256, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह कि स्वर्गीय राजाराम जी प्रजापत ने अपने स्वयं की कमाई के पैसो से वादग्रस्त भूखण्ड खरीद किया था। प्रार्थी की ओर से राजाराम जी के द्वारा बोली लेने का कथन गलत है ना तो कोई राजाराम जी ने प्रार्थी की ओर से कोई उच्चतम बोली ली थी ना ही प्रार्थी की उच्चतम बोली के कोई पैसे दिये है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को 1700/– रुपये का चैक किस पेटे और क्यों जमा कराया था प्रार्थी जाने अप्रार्थीगण को इसकी कोई जानकारी नही है ना ही कोई प्रार्थी ने नकद राशि अप्रार्थी संख्या दो को दी है और ना ही उपरोक्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की कोई राशि अप्रार्थी संख्या एक के पास जमा करवाई गई है। उपरोक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से रही है। अप्रार्थी संख्या एक से मेल मिलाप कर यदि कोई पटटा जारी किया गया होता तो 42 वर्षों तक प्रार्थी इन्तजार नहीं करता। सामान्य बुद्धिमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके हक मे पटटा जारी किया गया हो वह 42 वर्षों तक पटटा प्राप्त करने हेतु

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

इन्तजार नहीं करेगा परन्तु सही हकीकत यही है कि अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान द्वारा अपनी संपत्ति को अप्रार्थी संख्या तीन व चार को बेचान की जो की मीणा जाति के है, जिससे नाराज होकर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2/1 व 2/2 को कहा कि तुमने इन मीणों को जमीन क्यों बेची, हमको देनी चाहिये थी, तब अप्रार्थीगण ने कहा कि आप हमसे औने पौने दामों में खरीद करने की बात कर रहे थे, जिस पर हमने अप्रार्थी संख्या तीन व चार को अपनी संपति बेचान की है, उक्त बात से नाराज होकर प्रार्थी ने यह गलत निगरानी गलत तथ्यों पर आधारित पेश की है। यह कि ना तो कभी प्रार्थी को कोई कब्जा सुपुर्द किया गया, ना ही प्रार्थी ने कभी पट्टे की माँगनी की व ना ही कभी राजाराम जी ने बहाने बाजी कर आईन्दा देने का आश्वासन दिया है व ना ही प्रार्थी भाई होने से विश्वास करता रहा है, पद मे लिखा यह कथन भी गलत है कि भूखण्ड कस्तुराराम व छगनलाल मीणा को किराये पर दिया हो। राजाराम जी का देहान्त दिनांक 30.07.2013 को हो चुका है। प्रार्थी का यह कथन कि राजाराम जी के देहान्त के बाद अप्रार्थीगण भी प्रार्थी को आश्वासन देते रहे हो कि पटटा नहीं मिल रहा है इसलिये मिलेगा तब सुपुर्द कर देंगे इत्यादी कथन अपने आप में यह साबित करते है कि प्रार्थी ने यह गलत कथनों पर निगरानी पेश की है। सन् 1982 मे पटटा जारी होने के बाद से प्रार्थी आज तक केवल आश्वासन पर बैठा रहा हो, यह तथ्य किसी भी स्थिति में मानने योग्य नहीं है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग मे उपरोक्त भूमि अवाप्त होने पर उसका मुआवजा भी अप्रार्थीगण ने प्राप्त किया है। प्रार्थी को मुआवजा नही मिला था तो उस वक्त भी उसे कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो नहीं की और अब यह गलत कथनो पर आधारित निगरानी पेश की है। अपितु राजाराम द्वारा अपने स्वयं की कमाई से खरीद किये गये भूखण्ड की जानकारी प्रार्थी को पटटा जारी होने के समय से ही रही है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 ने अपने भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या तीन व चार को जरीये रजिस्टर्ड बेचान करने के पश्चात यह निगरानी द्वैषवश पेश की है, क्योंकि प्रार्थी उपरोक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 से औने–पौने दामों में खरीद करना चाहता था, जिससे प्रार्थी को सम्पति नही बेचने से यह निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की है, जो खारिज योग्य है। यह कि 600 वर्गफीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने पर उसका मुआवजा भी अप्रार्थीगण ने प्राप्त किया है। यदि प्रार्थी का कोई हक होता अथवा प्रार्थी के मालिकी की भूमि की अवाप्ति होती तो उसकी राशि प्रार्थी को प्राप्त नही होने पर भी प्रार्थी कार्यवाही करता, परन्तु उस समय भी कोई कार्यवाही नही करना यह जाहिर करता है कि प्रार्थी ने गलत व आधारहीन कथन कर अब यह निगरानी प्रस्तुत की है। यह कि अप्रार्थी राजाराम जी व उनके वारीसान ने अपने मालिकी की सम्पति को नियमानुसार अप्रार्थी संख्या तीन व चार को बेचान किया है। प्रार्थी ने मीणा जाति के व्यक्तियों को सम्पति बेचान करने से तथा प्रार्थी को बेचान नही करने से नाराज होकर यह गलत निगरानी प्रस्तुत की है। यह कि घनश्याम सिंह जी चारण एडवोकेट द्वारा श्री गुलाबनारायण जी के नोटिस का समुचित जवाब दिनांक 08.11.2024 को प्रेषित कर दिया था। प्रार्थी को राजाराम जी के नाम से पट्टे की जानकारी पटटा जारी होने के समय से ही रही है। सन् 2012 में राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि अवाप्ति का मुआवजा प्राप्त होने के समय भी प्रार्थी को पट्टे की जानकारी रही है। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन व चार द्वारा उपरोक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के नियमानुसार खरीद किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को बिना सिविल न्यायालय से निरस्त कराये निगरानी परिपोषणीय नही है। यह कि पटटा जारी होने के 42 वर्षो बाद तथा पटटे की 600 वर्गफीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होकर अप्रार्थीगण के द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के पश्चात अब यह निगरानी पेश करने से परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खारिज करना फरमावें। साथ ही विशेष हर्जा 20,000/– प्रार्थी से अप्रार्थीगण को दिलाने का आदेश फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का मौलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के पूर्वरसाधिकारी श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी प्रजापत निवासी भारजा के हक में प्लॉट संख्या 15 का उक्त पट्टा संख्या 16 दिनांक 18.03.1982 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट ग्राम पंचायत, भारजा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में से भूखण्ड का नीलामी के जरिए विक्रय विलेख जारी किया गया है।

जहां तक अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है, तो इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉं जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है। साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा आबादी भूमि में से नीलामी के जरिए विक्रय विलेख जारी किए गए, जिसमें प्लॉट संख्या 15 की उच्चतम बोली श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी प्रजापत निवासी भारजा द्वारा लगाने पर ग्राम पंचायत द्वारा श्री राजाराम के हक में पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत भारजा द्वारा श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी के हक में नीलामी एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है। अतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 के तहत पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः कथन है कि सन् 1982 में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा नीलामी बोली रखी गयी, जिसमें प्रार्थी ने अपने भाई राजाराम को प्रार्थी की ओर से बोली लगाने हेतु अधिकृत किया, जिस पर प्लॉट संख्या 15 की उच्चतम बोली रूपए 2,141/– की बोली गयी, जिसकी सूचना राजाराम द्वारा प्रार्थी को देने पर प्रार्थी ने रूपये 1700/– का चैक संख्या 155798 दिनांक 06.12.1982 अब्दुल रहमन स्ट्रीट मुम्बई–3 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया का भिजवाया, जो अप्रार्थी संख्या एक ने अपने बैंक मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा भारजा में जमा करवाया तथा शेष राशि प्रार्थी की ओर से 428/– रूपए नकद भेजी थी तथा शेष राशि 18 रूपये दिनांक 02.01.1984 को जमा करवाये गए थे। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से सम्पूर्ण राशि जमा करवाई थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक व स्वर्गीय राजाराम ने आपस में मेलमिलाप कर गलत रूप से उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या दो राजाराम के हक में जारी करवा दिया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की ओर से राजाराम जी के द्वारा बोली लगाने का कथन गलत है जबकि ना तो राजाराम जी ने प्रार्थी की ओर से कोई उच्चतम बोली ली थी और ना ही प्रार्थी ने उच्चतम बोली के कोई पैसे दिये है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को 1700/– रुपये का चैक किस पेटे और क्यों जमा कराया था। इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक से मेल मिलाप कर यदि

....पेज नं. 06

जिला कलेक्टर, सिरोही

कोई पट्टा जारी किया गया होता तो 42 वर्षों तक प्रार्थी इन्तजार नहीं करता। सामान्य बुद्धिमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके हक मे पट्टा जारी किया गया हो वह 42 वर्षों तक पटटा प्राप्त करने हेतु इन्तजार नहीं करेगा परन्तु हकीकत यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान द्वारा अपनी संपत्ति को अप्रार्थी संख्या तीन व चार को बेचान करने से नाराज होकर प्रार्थी द्वारा यह गलत तथ्यों पर निगरानी पेश की है, क्योंकि प्रार्थी उक्त भूखण्ड को औने-पौने दामों पर खरीद करना चाहता था। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा श्री राजाराम को बोली लगाने हेतु अधिकृत करने के पश्चात तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में उच्चतम बोली के रूपए 1700/- चैक द्वारा एवं शेष राशि नकद जमा कराने के उपरान्त प्रार्थी को ग्राम पंचायत कार्यालय से पट्टा प्राप्त करना चाहिए था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय भारजा से या श्री राजाराम से उक्त पट्टा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को यह ज्ञात होने पर कि उक्त भूखण्ड की नीलामी के पैसे ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रार्थी द्वारा जमा कराने के उपरान्त श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय से अपने हक में पट्टा जारी करवा लिया है, तो इस सम्बन्ध में प्रार्थी को श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी के विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जानी चाहिए थी, परन्तु प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार की कोई कायवाही नहीं की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त किया गया था, जिसका मुआवजा भी प्रार्थी को प्राप्त नहीं होकर श्री राजाराम को प्राप्त हुआ था, तब भी प्रार्थी को यह भलीभांति ज्ञात हो गया था कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा श्री राजाराम के हक में जारीं किए जाने से ही उक्त भूखण्ड का मुआवजा भी श्री राजाराम को अदा किया गया है, इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न तो ग्राम पंचायत कार्यालय में की गई और न ही सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। यदि प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का हक हिस्सा होता अथवा प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व की भूमि की अवाप्ति होती तो अवाप्ति की राशि प्रार्थी को प्राप्त नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के पूर्व रसाधिकारी श्री राजाराम पुत्र श्री पाताजी को प्राप्त होने पर प्रार्थी कार्यवाही करता, परन्तु प्रार्थी द्वारा श्री राजाराम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा आयोजित नीलामी में श्री राजाराम द्वारा अधिकतम बोली लगाए जाने पर उसके हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड की नीलामी में बोली श्री राजाराम द्वारा प्रार्थी की ओर से लगाए जाने के उपरान्त उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के हक में जारी करने के बजाय श्री राजाराम के हक में जारी कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी श्री राजाराम के वारीसानों द्वारा उक्त प्रश्नगत भूखण्ड में से 450 वर्गफीट का बेचान जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या तीन के हक में किया गया है तथा 450 वर्गफीट का बेचान जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या चार के हक में नियमानुसार किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही